11-11-25

पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 व 3 को भेजा गया नोटिस बाद विविधत तामील प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। निगरानीकर्ता को नोटिस तामील होने उपरांत भी वे आज़ दिनांक तक हाजिर नहीं आये। निगरानीकर्ता को बार–बार आवाजे लगाई गई। परन्तु निगरानीकर्ता असालतन/वकालतन हाजिर नही आये। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव पत्रावली चलाने में अरूचि जाहिर करता है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी अदम पैरवी अदम हाजरी में इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीनानाथ बब्बंल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.24 17:25:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner